भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *4

जिसका उत्तर 02.02.2023 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार और छह लेन वाले राजमार्गों में बदलना

***4**. श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2016-17 तथा 2021-22 और 2022-23 के दौरान बिहार और गुजरात सहित राज्य-वार चार और छह लेन में परिवर्तित करने हेतु लक्षित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की लंबाई कितनी है;

(ख) अब तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार चार और छह लेन में परिवर्तित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है;

(ग) शेष कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि तथा अब तक उपयोग की गई धनराशि राज्य-वार कितनी है; और

(ड.) आगामी वर्षों में राज्य-वार चार और छह लेन में बदले जाने हेतु संभावित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'राष्ट्रीय राजमार्गों को चार और छह लेन वाले राजमार्गों में बदलना' के संबंध में श्री रवि किशन और श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा पूछे गए दिनांक 02.02.2023 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *4 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) चार-लेन और छह-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कई कारकों जैसे कि खंड पर चालू यातायात, आवश्यक भूमि की उपलब्धता, उपलब्ध वैकल्पिक मार्ग, क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति आदि पर निर्भर करता है। मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के निर्माण के लिए लेन-किमी के आधार पर नहीं, बल्कि रेखीय लंबाई के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करता है। हालांकि, चार लेन, छह लेन आदि के निर्माण की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।

(ख) वर्ष 2016-17, 2021-22 और 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के लिए 4-लेन और 6/8-लेन रारा के निर्माण के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धि का विवरण संलग्न है।

(ग) किसी विशेष परियोजना के पूरा होने की अवधि कई कारकों जैसे कि जलवायु, भूविज्ञान, भू-भाग, यातायात, संरचनाओं का घनत्व आदि पर निर्भर करती है और इन सभी कारकों पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाता है जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए अलग-अलग हैं। सामान्यतः निर्माण की अवधि 2 से 3 वर्ष रखी जाती है।

(घ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास कार्य के प्रयोजन के लिए आवंटित और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ङ) निर्माणाधीन चार-लेन और छह-लेन राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है।

'राष्ट्रीय राजमार्गों को चार और छह लेन वाले राजमार्गों में बदलना' के संबंध में श्री रवि किशन और श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा पूछे गए दिनांक 02.02.2023 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *4 के भाग (ख), (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क. 4 लेन और 6/8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

वित्त वर्ष		2016-17		2021-22		2022-23 (दिसंबर-22 तक)	
		उपलब्धि		उपलब्धि		उपलब्धि	
क्र. सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम	4 लेन	6/8 लेन	4 लेन	6/8 लेन	4 लेन	6/8 लेन
1	आंध्र प्रदेश	14	10	40	60	14	36
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	19	0	91	0	70	6
4	बिहार	1	9	185	13	164	25
5	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ	12	0	66	0	23	0
7	दिल्ली	0	0	0	5	0	8
8	गोवा	0	0	15	0	1	0
9	गुजरात	6	10	108	94	84	85
10	हरियाणा	298	13	113	176	80	34
11	हिमाचल प्रदेश	17	0	48	0	27	0
12	जम्मू और कश्मीर	28	0	76	0	46	0
13	झारखंड	36	1 1	40	13	35	2
14	कर्नाटक	126	0	131	68	101	38
15	केरल	38	0	8	5	2	27
16	मध्य प्रदेश	163	2	188	134	89	39
17	महाराष्ट्र	195	23	659	18	402	8
18	मणिपुर	1	0	12	0	0	0
19	मेघालय	0	0	0	0	0	0
20	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
21	नगालैंड	0	0	19	0	7	0
22	ओडिशा	48	1	149	82	50	30
23	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
24	पंजाब	339	0	36	0	68	3
25	राजस्थान	26	2	59	423	69	215
26	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
27	तमिलनाडु	103	0	199	1 1	143	25
28	तेलंगाना	2	0	124	1	53	2
29	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
30	उत्तर प्रदेश	111	56	349	58	206	25
31	उत्तराखंड	47	0	41	0	17	0
32	पश्चिम बंगाल	24	30	45	5	37	13
33	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
34	अंडमान और निको. द्वीप	0	0	0	0	0	0
कुल		**1655**	**167**	**2798**	**1165**	**1788**	**620**

'राष्ट्रीय राजमार्गों को चार और छह लेन वाले राजमार्गों में बदलना' के संबंध में श्री रवि किशन और श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा पूछे गए दिनांक 02.02.2023 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *4 के भाग (ख), (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ख. उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी-वार आबंटित निधियों और किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/योजनाएं/एजेंसी	2016-17		2021-22		2022-23 (31.12.2022 तक) करोड़ में	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	2,010.31	2,014.50	2,116	2,101	1,827	1,400
2	अरुणाचल प्रदेश	100.00	90.66	310	380	400	281
3	असम	177.44	137.80	350	357	390	244
4	बिहार	1,362.64	1,331.61	2,542	2,476	1,147	1,144
5	छत्तीसगढ	1,553.30	1,495.68	648	630	627	592
6	गोवा	400.00	434.51	643	608	811	475
7	गुजरात	251.87	213.41	800	810	600	423
8	हरियाणा	150.00	161.27	110	96	80	57
9	हिमाचल प्रदेश	210.95	182.14	722	748	611	601
10	झारखंड	200.00	212.50	350	355	200	200
11	कर्नाटक	783.52	871.96	1,079	1,085	1,022	719
12	केरल	259.89	237.80	331	305	200	98
13	मध्य प्रदेश	1,760.00	1,558.90	1,306	1,255	652	450
14	महाराष्ट्र	1,371.92	1,154.00	6,099	6,145	3,725	3,163
15	मणिपुर	25.25	18.65	130	124	105	75
16	मेघालय	41.27	28.44	60	69	60	42
17	मिजोरम	40.00	46.13	125	125	50	29
18	नगालैंड	50.00	38.84	364	346	225	160
19	ओडिशा	925.55	951.35	755	768	798	595
20	पंजाब	2,740.50	2,702.48	528	501	340	275
21	राजस्थान	964.83	1,012.99	836	846	1,140	902
22	सिक्किम	0.00	0.00	45	40	38	30
23	तमिलनाडु	575.00	640.11	1,200	1,151	750	689
24	तेलंगाना	380.00	358.43	970	886	775	516
25	त्रिपुरा	5.00	2.38	125	129	100	58
26	उत्तर प्रदेश	1,849.02	1,820.85	1,265	1,329	1,814	1,120
27	उत्तराखंड	332.62	314.48	665	654	345	337
28	पश्चिम बंगाल	1,333.62	1,223.19	593	532	809	560
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.13	0.13	1	0	1	0
30	चंडीगढ़	2.00	0.69	1	0	1	0
31	दादर और नगर हवेली	0	0	32	30	40	23
32	दमन और दीव						

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/योजनाएं/एजेंसी	2016-17		2021-22		2022-23 (31.12.2022 तक) करोड़ में	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
33	दिल्ली	1.00	0.62	98	58	48	42
34	जम्मू और कश्मीर	40.06	23.16	90	68	390	71
35	लद्दाख			1 1	0	3	0
36	पुदुचेरी	20.00	14.28	3	1	25	25
37	रारा(मूल)/पहले आओ पहले पाओ के तहत अन्य परियोजनाएं	791.38	787.79	-206	@	399	399
38	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) - उपकर $	2,326.50	2,326.50	36,210	36,210	97,600	97,600
39	एनएचएआई- टोल $	7,500.00	7,500.00	12,670	12,670	13,915	13,915
40	एनएचएआई-रारा(मूल) $	5,389.02	5,389.02	16,143	16,143	11,458	11,458
41	एनएचएआई-टीओटी $	-	-	13,000	5,000	20,000	0
42	रारा(मूल)$ के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	72.20	72.20	7,079	7,079	7,000	7,000
43	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) $	^	^	352	338	500	287
44	अरुणाचल पैकेज $ सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एसएआरडीपी-एनई) के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	4,520.00	4,464.71	4,825	4,782	4,840	3,162
45	विजयवाड़ा-रांची रोड के विकास सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	760.00	739.27	332	329	270	231
46	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं - मुख्यालय, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल $	59.38	56.72	3,151	3,151	2,028	2,028
47	भारतमाला बीआरओ, एनएचआईडीसीएल $	-	-	923	923	2	1
48	रोपवे का विकास	-	-	5	5	100	100
49	एनएचएलएमएल	-	-	100	100	0	0
	कुल			**119,887**	**111,738**	**178,261**	**151,574**
50	आईईबीआर / एनएचएआई द्वारा उधार	59,279.00	33,118.00	65,000	65,150	1,000	798
51	एसपीवी	-	-	14006	14,006	15,000	3,900
52	इनविट	-	-	7350	7,350	10,000	2,850
	कुल			**206,243**	**198,244**	**204,261**	**159,122**

विशुद्ध रूप से "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर व्यय करने के आधार पर प्राधिकृत किया गया था बशर्ते कि कुल वित्तीय व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल आवंटन से अधिक नहीं हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का कम से कम समर्पण हो। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आवंटन से अधिक है।

***- ऋणात्मक आवंटन परिलक्षित होता है क्योंकि एनएचडीपी-IV (राज्य पीडब्ल्यूडी) से एनएचएआई को धन का पुनर्विनियोजन किया गया था। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन कम नहीं किया गया था।**

@- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यय शामिल

$- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन नहीं किया गया

उपरोक्त विवरण में पीआर/आईआरक्यूपी का आवंटन शामिल नहीं है। पीआर/आईआरक्यूपी को 2021-22 से रारा (मूल) से वित्त पोषित किया गया है।

^- अलग से आवंटन नहीं किया गया है

'राष्ट्रीय राजमार्गों को चार और छह लेन वाले राजमार्गों में बदलना' के संबंध में श्री रवि किशन और श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा पूछे गए दिनांक 02.02.2023 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *4 के भाग (ख), (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग. कार्यान्वयनाधीन चार-लेन और छह-लेन राजमार्गों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	4 लेन		6 लेन	
		कुल लंबाई (किमी)	पूरी की गई लंबाई (किमी)	कुल लंबाई (किमी)	पूरी की गई लंबाई (किमी)
1	अण्डमान और निकोबार	270	232	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1638	590	596	253
3	अरुणाचल प्रदेश	201	128	0	0
4	असम	759	352	29	7
5	बिहार	1582	754	301	151
6	छत्तीसगढ	580	251	125	0
7	दिल्ली	7	0	63	13
8	गोवा	205	149	7	0
9	गुजरात	823	404	349	224
10	हरियाणा	545	225	127	41
11	हिमाचल प्रदेश	372	182	0	0
12	जम्मू और कश्मीर	496	240	0	0
13	झारखंड	1158	569	60	47
14	कर्नाटक	1911	1313	915	534
15	केरल	139	37	577	69
16	मध्य प्रदेश	1618	844	51	44
17	महाराष्ट्र	8448	5929	309	152
18	मणिपुर	764	424	0	0
19	मेघालय	136	6	0	0
20	मिजोरम	788	317	0	0
21	नगालैंड	455	271	0	0
22	ओडिशा	1548	1381	581	320
23	पुदुचेरी	11	0	0	0
24	पंजाब	1099	211	374	0
25	राजस्थान	1043	730	653	550
26	सिक्किम	167	42	0	0
27	तमिलनाडु	2895	1836	334	278
28	तेलंगाना	1933	1290	128	2
29	यूटी लद्दाख	345	54	0	0
30	उत्तर प्रदेश	3066	1423	528	413
31	उत्तराखंड	682	486	20	0
32	पश्चिम बंगाल	548	430	254	125
कुल		**36232**	**21101**	**6379**	**3221**

*****